# कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

## //परिपत्र/आदेश //

कमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–24.03.2020

प्रति,

विशेष न्यायाधीश,
समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायिक दण्डाधिकारी एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश,
अध्यक्ष, मण्डल अभिभाषक संघ,
एवं सभी कर्मचारी स्टॉफ
उज्जैन/तराना/महिदपुर/बड़नगर/नागदा/खाचरौद

कल दिनांक 23.03.2020 की रिमाण्ड ड्यूटी के समय यह देखने में आया कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड के लिये लाये गये, उनके साथ जमानतदार के अलावा परिजन और मित्रगण भी थे, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रीडर, स्टेनो, चपरासी एवं मुंशी के अलावा भी अन्य कर्मचारीगण उपस्थित मिले, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि कोरोना वायरस संकमण से बचने के लिये यह प्रमुख आवश्यकता है कि अधिक संख्या में लोग एक जगह एकत्रित न हों।

अतः निर्देशित किया जाता है कि रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं अत्यावश्यक कार्य के लिये जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के स्टाफ में रीडर, स्टेनो, चपरासी एवं मुंशी के अलावा केवल नजारत से जिला नाजिर, सिस्टम ऑफिसर और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही उपस्थित रहें। इसके अलावा किसी भी स्टाफ की उपस्थिति स्वीकार्य नहीं है।

आज दिनांक से जिला न्यायालय में रिमाण्ड ड्यूटी एवं ए.डी.जे. न्यायालय में अत्यावश्यक कार्य उनसे संबंधितत न्यायालय में ही होगा, जो कि सुविधाजनक है।

जिला नाजिर इस बात की तस्दीक करेंगे कि उपरोक्त स्टॉफ के अलावा कोई भी व्यक्ति जिला न्यायालय के मुख्य दरवाजे में प्रवेश न करें तथा केवल पुलिस एवं अभिरक्षा में लाये गये कैदी ही न्यायालय में प्रवेश करें। जमानतदार को न्यायालय में तभी प्रवेश मिलेगा, जब जमानत के आदेश हो जायेंगे और जमानत प्रस्तुत करना होगी।

अधिवक्तागण जिनका कि मामला न्यायालय में ही है, वे ही प्रवेश करेंगे। उनके लिये आज प्रयास किये जा रहे हैं कि विडियो कॉलिंग एप डाउनलोड कर उनकी उपस्थिति और तर्क की कार्यवाही भी भविष्य के लिये विडियो कॉलिंग एप के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।

न्यायालय में अभिरक्षा में लाये गये कैदी के लिये बाहर के गेट से केवल जमानतदार को परिचय–पत्र के साथ प्रवेश मिलेगा, अन्य व्यक्तियों का प्रवेश बाहर के गेट से निषेधित रहेगा।

पक्षकारों और अधिवक्ताओं के बैठने और स्वच्छता की और सुरक्षा की उचित व्यवस्था जिला नाजिर करेंगे। न्यायालय के बाहर के गेट पर भी कोई अनावश्यक रूप से लोग एकत्रित नहीं रहेंगे, उसकी जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की रहेगी।

24/3/2020
(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)